

**फटे अहकाम**

(विषय 78)

अदालत ..... 342403 रमेश चौरा शिकराय .....  
 सरकार बनाम ..... रमेश / मालू .....  
 मुकदमा ..... 72 मु० नं० ..... 112/2021

क्र.सं.	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
8.10.21	<p>प्रावना पक्ष अर्थात् निचे आदीवला श्री राजाराम गुर्जर द्वारा पैदा किया हुआ कर तलबी की जावे / वास्ते इन्जानर तामील दि० 11.10.21 को पेश हो।</p>	
11/10/21	<p>अन्तरिम फावली पेश। अस्थायी निर्देशावला पर सुना गया। उभयपक्षों के मध्य निर्माण के विवाद के मसलें जख ख. नं. 222 (अनगात भूमी) के मालिक कायदास्थिति तथा जवन निर्माण नहीं करने की अन्तरिम T.I. आगामी पेशी तक जारी हो।</p>	
18.10.21	<p>फावली पेशी वगैरे उभयपक्ष उर्फ/ जवाब अर्थात्, की करार से पेशी बाहम डावा हेतु दि० 20.10.21 को पेश हो।</p>	
20.10.21	<p>फावली पेशी। उभयपक्ष आदीवला उपास्थिता कल प्रावना पक्ष सुनी गयी। प्रावनी पक्ष रमेश वगैरे का तर्क रहा कि अर्थात् पक्ष ख. नं. 222 जो कि National highway पर स्थित है, अर्थात् ही पूरी भूमी निर्माण करने का आयात है। अर्थात् पक्ष मालू वगैरे का तर्क रहा कि प्रावनी पक्ष के पास ख. नं. 298 NH पर स्थित है जिसका front part 222 के ही अधिक है। उभयपक्षों की कल के तर्कों से स्पष्ट है कि दोनों पक्षों के बीच विवाद ख. नं. 222 व 298 के front को लेकर है। प्रावनी पक्ष की रिहायश ख. नं. 298 में है तथा अर्थात् पक्ष का ख. नं. 222 में। राजधानी संवत्सरी अधी. के प्रावधानों अनुसार एक अपनी विधायक उपयोग हेतु ही भूमी पर निर्माण कर सकता है। उभयपक्षों की अस्थायी निर्देशावला से पावने किया जाता है कि वे ख. नं. 222 व 298 में कोई भी व्यावसायिक निर्माण बिना अनुमति नहीं करे। उभयपक्षों रिहायशी आवश्यकता अनुसार निर्माण हेतु स्वतंत्र है। प्रावनी केवल सुमार हो।</p>	

*(Signature)*  
 (राजनीवादी) 20.10.21